2/6/17 - आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर कोर्ट मुकाम लोक पर पेश हुई। वादीगण पक्षकारान उपरोक्त भूमि ख. नं. 405 रकबा [illegible] उपस्थित [illegible] ने कथन से पूरा कर दिया। वादी पक्षकारान ने कथन से [illegible] कोई बहस करना चाहिए लिया। वादीगण पक्षकारान की बहस का बयान सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण पक्षकारान ने अपनी बहस मे उत्तराधिकार नामान्तरण बाद की, डिक्री जारी करने का निवेदन किया। बाद बहस वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है विरुद्ध डिक्री पृथक से लिखकर पत्रावली शामिल पत्रावली हो। पश्चात डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] में [illegible] हो।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
दूदू

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – **श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.**

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 172/2016

वाद दायरी दिनांक : 26/10/2016

निर्णय दिनांक : 02/06/2017

धर्मचन्द पुत्र स्व0 गंगाराम, जाति खटीक, उम्र 60 साल, निवासी सेवा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0

— वादी

वनाम

1. नारायणलाल पुत्र स्व0 श्री गंगाराम खटीक, उम्र 90 साल, जाति खटीक, निवासी सेवा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0 (फौत0)
   - 1/1 भंवरीदेवी पत्नी नारायणलाल
   - 1/2 उर्मिलादेवी पत्नी कल्याणमल
   - 1/3 राजेन्द्र पुत्र कल्याणमल
   - 1/4 नवीन पुत्र कल्याणमल
   - 1/5 मिनाक्षी पुत्री कल्याणमल
   - 1/6 कान्ता पुत्री नारायणलाल

   समस्त जाति खटीक, निवासीगण सेवा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. श्रीमती प्रभातीदेवी पत्नी स्व0 श्री धन्नालाल खटीक, उम्र 80 साल, जाति खटीक, निवासी सेवा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
3. श्रीमती भगवती पुत्री स्व0 धन्नालाल पत्नी महेश राजौरा, उम्र 50 साल, जाति खटीक, निवासी सेवा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0 हाल निवासी पी–1, डोली अपार्टमेन्ट, सरदार पटेल स्कूल के पीछे, चन्द्रनगर, मणिनगर, अहमदाबाद, गुजरात।
4. तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
5. सबरजिस्ट्रार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

— प्रतिवादीगण

वाद इस्तकरारहक घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति – **श्री प्रमोद कुमार जैन**
विद्वान अधिवक्ता वादी
श्री शिवराम शर्मा
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ल. 2
श्री नारायणसहाय पारीक
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3
प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
दूदू

निर्णय दिनांक 02/06/2017

Scanned by CamScanner

--: निर्णय :--

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी वाके ग्राम सेवा, मूंगीथला, व ढाणी नन्दा, तहसील गौजमाबाद, जिला जयपुर की जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073, 2069–2072, 2072–2075 की आराजी निम्न प्रकार से है जिनको निम्न परिशिष्ट से दर्शित किया गया है :–

परिशिष्ट 1 खाता संख्या 82 वाके ग्राम ढाणी नन्दा

खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	विशेष विवरण
99	1.33	जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 के पति व 3 के पिता स्व0 धन्ना पुत्र गंगाराम के नाम से दर्ज हैं।
209	2.53	
कुल किता 02	कुल रकबा 3.86 हैक्टेयर	

परिशिष्ट 2 खाता संख्या 84 वाके ग्राम ढाणी नन्दा

खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	विशेष विवरण
100	0.38	जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 के पति व 3 के पिता स्व0 धन्ना पुत्र गंगाराम के नाम से दर्ज हैं।
106	0.34	
कुल किता 02	कुल रकबा 0.72 हैक्टेयर	

परिशिष्ट 3 खाता संख्या 50 वाके ग्राम मूंगीथला

खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	विशेष विवरण
136	0.12	जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 के पति व 3 के पिता स्व0 धन्ना पुत्र गंगाराम के नाम से दर्ज हैं।
137	0.63	
146	0.03	
कुल किता 3	कुल रकबा 0.78 हैक्टेयर	

परिशिष्ट 4 खाता संख्या 175 वाके ग्राम सेवा

खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	विशेष विवरण
603	2.05	जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 के पति व 3 के पिता स्व0 धन्ना पुत्र गंगाराम के नाम से दर्ज हैं।
604	0.95	
कुल किता 2	कुल रकबा 3.00 हैक्टेयर	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

इस प्रकार उपुर्यक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार प्रतिवादी संख्या 2 के पति व प्रतिवादी संख्या 3 के पिता के नाम से दर्ज है, जिसमें कानूनन वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा हैं तथा इसी अनुसार काबिज काश्त एंव खातेदार काश्तकार है तथा लगान सरकारी अपने-अपने हिस्से अनुसार जमा कराते आ रहे हैं। नजरे अनुसार पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा विवादित आराजीयात पक्षकारान की संयुक्त कब्जें काश्त की आराजीयात रही हैं। पक्षकारान एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है जो शुरू से ही शामलाती में रहते आ रहे थे तथा विवादित आराजीयात पक्षकारान के शामिल में रहते हुये अर्थात नारायण, धन्ना व धर्मचन्द तीनों ने शामिल में रहते हुये संयुक्त परिवार की संयुक्त आय से क्रय की गयी थी तथा स्व0 धन्नालाल जो कि परिवार के कर्ता खानदान थे, इसलिये उक्त आराजीयात क्रय कर अकेले उनके नाम से दर्ज करवा दी गयी, जबकि मौके पर उक्त आराजीयात पर पक्षकारान वादी हिस्सा 1/3 प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पति/पिता हिस्सा 1/3 के अनुसार काबिज काश्त हैं, चूंकि पक्षकारान सगे भाई थे तथा एक ही परिवार में निवास करते थे, जिसका पूजा, पाठ, भोजन भजन एवं अन्य सभी क्रियाकलाप संयुक्त परिवार में ही सम्पन्न होते थे, इसलिये धन्ना जो कि कर्ता खानदान थे, जिनके अकेले के नाम से आराजीयात दर्ज करवा दी गयी। जब तक स्व0 धन्ना जीवित रहे, तीनों भाई शामिल में रहकर विवादित आराजीयात को अपनी मनबंट अनुसार 1/3-1/3-1/3 हिस्से अनुसार बांटकर बाहजोत करते आ रहे थे, चूंकि सभी शामिल में रहते थे तथा सगे भाई थे एवं मौके पर बराबर हिस्से पर काबिज काश्त थे, इसलिये कभी भी अविश्वास का प्रश्न नही रहा, जब जब भी वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पति/पिता स्व0 धन्ना को आराजी में हिस्सा बराबर-बराबर नाम लगाने हेतु कहा तो वे आश्वासन देते रहे कि मौके पर काबिज काश्त हो कभी भी नाम लगवा देंगे चूंकि सभी सगे भाई थे, इसलिये वादी ने स्व0 धन्ना की बात पर विश्वास कर लिया। इसी दरमियान स्व0 धन्ना की मृत्यु हो गयी, जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 व 3 है, जब वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को भी विवादित आराजीयात में उसका हिस्सा नाम लगाने बाबत कहा तो पहले तो वो आश्वासन देती रही कि कभी भी नाम लगवा देंगे, लेकिन नाम नही लगवायी तो वादी ने अन्य भाईयों प्रतिवादी संख्या

Scanned by CamScanner

1 व परिजनों से दबाव डलवाया तो प्रतिवादी संख्या 2 व 3 तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विवादित आराजीयात बाबत एक "आपसी सहमति से परिवारिक समझौता–पत्र" निष्पादित हुआ, जिसके अनुसार विवादित आराजीयात में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा होना माना एवं कभी भी सभी के नाम बराबर–बराबर दर्ज करवाने बाबत सहमति हुई, जिसको नोटरी पब्लिक श्री हरीश कुमार साहू एडवोकेट से पंजीबद्ध करवाया गया, जिससे पक्षकारान एस्टोप्ड एवं पाबन्द हैं। वादी ने जब प्रतिवादी 2 व 3 को अभी अन्तिम बार दिनांक 30/09/2016 को वादी का 1/3 हिस्सा नाम लगाने बाबत कहा तो प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने वादी का उसका हिस्सा नाम लगाने से साफ इन्कार कर दिया एवं ऐलानिया धमकी दी कि विवादित आराजीयात का वो स्व0 धन्ना का विरासत का नामान्तरकरण खुलवाकर विवादित आराजीयात सम्पूर्ण का दीगर व्यक्तियों को बेचान कर वादी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल किया जावेगा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की उक्त धमकी से वादी को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने बाबत यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 2 व 3 पेश किया जाना आवश्यक हुआ हैं।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 2 व 3 डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावें कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी वर्णित परिशिष्ट 1, 2, 3 व 4 में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पति/पिता स्व0 धन्ना के नाम दर्ज आराजी में पारिवारिक सनझौता के अनुसार वादी को हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को संयुक्त रूप से हिस्सा 1/3 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 30/11/2016 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री शिवराम शर्मा एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 07/12/2016 को प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से श्री नारायण सहाय पारीक एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायिक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
दूदू

दिनांक 20/04/2017 को वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा0 दी0 मय वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया। वकील वादी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/6 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया, जो वाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 फोरमल पक्षकार हैं।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–2073, फोटो प्रति आपसी सहमति से पारिवारिक समझौता–पत्र तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि वादी ने अपने वाद–पत्र में अंकित किया है कि "पक्षकारान एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है जो शुरू से ही शामलाती में रहते आ रहे थे तथा विवादित आराजीयात पक्षकारान के शामिल में रहते हुये अर्थात नारायण, धन्ना व धर्मचन्द तीनों ने शामिल में रहते हुये संयुक्त परिवार की संयुक्त आय से क्रय की गयी थी तथा स्व0 धन्नालाल जो कि परिवार के कर्ता खानदान थे, इसलिये उक्त आराजीयात क्रय कर अकेले उनके नाम से दर्ज करवा दी गयी, चूंकि पक्षकारान सगे भाई थे तथा एक ही परिवार में निवास करते थे, जिनका पूजा, पाठ, भोजन भजन एवं अन्य सभी क्रियाकलाप संयुक्त परिवार में ही सम्पन्न होते थे, मौके पर उक्त आराजीयात पर पक्षकारान वादी हिस्सा 1/3 प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पति/पिता हिस्सा 1/3 के अनुसार काबिज काश्त हैं, अब इसी अनुसार दर्ज की जावें।" मुताबिक सजरा पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होना तथा विवादित आराजीयात पक्षकारान की संयुक्त परिवार की होना प्रमाणित होता हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक समझौता–पत्र दिनांक 15/09/2016 के अनुसार पक्षकारान के मध्य विवादित आराजीयात का आपसी सहमति से बंटवारा कर मौके पर काबिज काश्त होना पाया जाता हैं तथा पारिवारिक समझौता के अनुसार ही दावा डिक्री किये जाने बाबत अनुतोष चाहा हैं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा राजीनामा पेश कर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

वादीगण के वाद को स्वीकार किया गया है एवं दावा डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही जताकर अपनी पूर्ण सहमति दी है। ऐसी स्थिति में मुताबिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात में वादी को 1/3 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 1/1 को 1/9 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1/2 लगायत 1/5 को संयुक्त रूप से 1/9 एवं प्रतिवादी संख्या 1/6 को 1/9 तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 82 के खसरा नम्बर 99, 209 कुल किता 02 कुल रकबा 3.8600 हैक्टेयर, खाता संख्या 84 के खसरा नम्बर 100, 106 कुल किता 02 कुल रकबा 0.72 हैक्टेयर वाके ग्राम ढाणी नन्दा तहसील मौजमाबाद, खाता संख्या 50 के खसरा नम्बर 136, 137, 146 कुल किता 03 कुल रकबा 0.78 हैक्टेयर वाके ग्राम मूंगीथला, तहसील मौजमाबाद व खाता संख्या 175 के खसरा नम्बर 603, 604 कुल किता 02 कुल रकबा 3.00 हैक्टेयर वाके ग्राम सेवा, तह0 मौजमाबाद में वादी को हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 1/1 को 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1/2 लगायत 1/5 का संयुक्त रूप से 1/9 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1/6 को 1/9 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 02/06/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

बअदालत न्यायालय कनिष्ठ न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) दूदू जिला जयपुर

बइजलास श्री त्रिलोक चन्द मीना, आर.जे.एस.

...चन्द पुत्र स्व. गंगाराम, जाति ... बनाम 1. नारायणलाल पुत्र स्व. श्री गंगाराम खटीक

खटीक नि. सेवा दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा व घोषणा व स्थगन 1/1. नि. ... (...) ... पत्नी ...

मुकदमा नं. 172/2016 1/2 अनिता देवी पत्नी ...

यह मुकदमा आज बगरज इनफिसाल कतई रूबरू श्री प्रमोद कुमार जैन मु.आ.

मंजूरी

मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री शिवराज शर्मा एड., श्री नारायण ... पारीक एड.

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर विवादित खाता ...

82 का खसरा नम्बर 99, 104 कुल किता 02 कुल रकबा 3.8600 हैक्टेयर

... नं. 84 के खसरा नम्बर 100, 106 कुल किता 02 कुल रकबा 0.72 हैक्टेयर

... ग्राम ... तह० मौजमाबाद, खाता नं. 50 का ख.नं. 136, 137, 146 *

मुबलिग ... बाबत ...

इस मुकदमें के गय सूद बशरह ... फीसदी ... आज की तारीख से

ख अदायगी तक ... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02 माह 06 सन् 2017 को

की गई।

दस्तखत

ओहदा

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
...म्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
...म्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
...म्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
...ना वकील			खर्चा गवाहान		
...र्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
...स कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
...त इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
...फरिक					
मीजान			मीजान		

Scanned by CamScanner

» 1/8 राजेन्द्र 1/4 मनोज पुत्रान कल्याणमल, 1/5 शिवानी पुत्री कल्याणमल, 1/6 कमला पत्नी नारायणलाल जाति खटीक, नि. लोरा व अन्य। प्रतिवादी क्र. 1 लगा. 5

* कुल किता 03 कुल रकबा 0.78 हैक्टेयर वाके ग्राम मीणियान तह० मौजमाबाद व खाता नं. 175 के खसरा नम्बर 603, 604 कुल किता 02 कुल रकबा 3.00 हैक्टेयर वाके ग्राम सेवा तह० मौजमाबाद में वादी का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी क्र. 1/1 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी क्र. 1/2 लगा. 1/5 का संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा का व प्रतिवादी क्र. 1/6 का 1/9 हिस्सा का तथा प्रतिवादी क्र. 2 व 3 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे है।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक)
दूदू